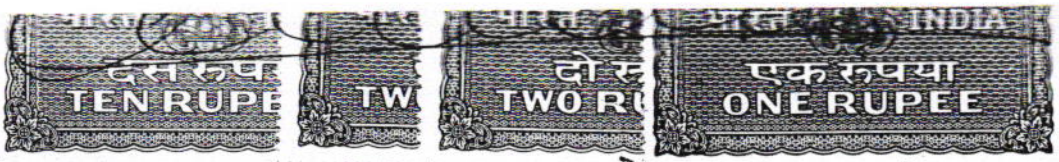

दस रुपये TEN RUPEE TW दो रु TWO RU एक रुपया ONE RUPEE INDIA

ऑफिस 15/- 2

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रं. /2003 रिव्यू-1698-III/03

श्री के० के० द्विवेदी अभि० द्वारा दिनांक 18-11-03 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मंडल, म०प्र०, ग्वा०

1. माधोसिंह पुत्र रूपसिंह
2. राममहेश रघुवंशी पुत्र माधोसिंह
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र माधोसिंह
4. अशोक सिंह पुत्र माधोसिंह
5. हरिओम पुत्र माधो सिंह
   नाबालिग सरपरस्त माधोसिंह
6. कमल सिंह पुत्र रूपसिंह

निवासीगण अशोकनगर जिला गुना (म.प्र.)

विरूद्ध ..आवेदकगण

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना म.प्र.

... अनावेदक

18/11/03 K. K. DWIVEDI Advocate

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रं. 1130/1/02 निगरानी में पारित आदेश दि.2.1.03 के विरूद्ध म.प्र. भू.राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन

माननीय महोदय,

आवेदकगणों की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :-

1. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कुछ ऐसी भूले हैं जिनके कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।

2. यह कि, आवेदकगण द्वारा उनके पुनरीक्षण ज्ञापन में उठाई गई समस्त आपत्तियों पर विचार एवं विनिश्चयन नहीं किया गया है इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।

18/11/03

3. यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में पुनरीक्षण ज्ञापन में उठाई गई आपत्तियों का न तो उल्लेख किया है और न ही विनिश्चयन. इस कारण माननीय न्यायालय का आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –1698–तीन/03 जिला –अशोकनगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.12.15 ~~8.12.15~~	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित । उभय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदकगण पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन– पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1130–एक/2002 आदेश दिनांक 2.1.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 1698–तीन/2003 के तथ्यों पर उभय पक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से पुनरावलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1130–एक/2002 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 2.1.2003 से किया जा चुका है ।	

रिव्यु प्र0क0 1698–तीन/03

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात /साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था , सम्यक तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2–अभिलेख से प्रकट कोई भूल /गलती ।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य